

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-9/आ0-07-30/2024(स्वा0) /पटना, दिनांक:-.....

कार्यपालक, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक-3370 दिनांक-04.10.2024 द्वारा डा० राजीव रजन (कोटि क्रमांक-5174/2025, पजीकरण सं०-BR00150440000503), चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर के विरुद्ध 2 (दो) वर्षीय Epidemic Intelligence Services (EIS) प्रशिक्षण (वर्ष-2023-25) पूर्ण न कर 1,000/-रु० के नन-जूडिसियल स्टाम्प Gaurantee Bond में निहित शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण को बीच में ही छोड़ने से सरकारी राशि की क्षति हुई है और जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी। साथ ही बिहार जैसे संवेदनशील राज्य को उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम के ससाधन सेवी (Resource Person) से भी वंचित होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय पत्रांक-225(9) दिनांक-12.03.2025 के द्वारा डॉ० रंजन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करते हुए बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। डॉ० रंजन द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन में वर्णित तथ्यों की समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-767(9) दिनांक-11.07.2025 द्वारा डा० रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा डा० रंजन के विरुद्ध प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक व्यवहार नहीं करने के आरोप को अप्रमाणित तथा शेष आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-1186(9) दिनांक-17.11.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

3. डा० रंजन द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 से 12.01.2024 तक NCDC, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपर निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-11.01.2024 को उन्हें SSO, (IDSP) SHS, पटना के समक्ष योगदान करने का आदेश दिया गया। उनके द्वारा दिनांक-15.01.2024 से 22.04.2024 तक NCDC नई दिल्ली के website Portal से Online प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा था। कालक्रम में उनके माताजी एवं पत्नी की तबीयत खराब हो गयी। SSO (IDSP) SHS द्वारा डा० रंजन को प्रशिक्षण से इतर कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उनके द्वारा सहायक, निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, नई दिल्ली को परिस्थितियों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षण कार्य से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा दिनांक-22.04.2024 को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक-96 दिनांक-26.04.2024 द्वारा डा० रंजन को सदर अस्पताल, समस्तीपुर में योगदान स्वीकार कर कार्य करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् वे दिनांक-26.04.2024 से नियमित रूप से कर्तव्य पर उपस्थित है।

4. डॉ० रंजन द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के सम्यक् समीक्षोपरान्त एकरारनामा के निहित शर्तों के अधीन (EIS) का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन अंसचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

01/11/2025

5. अतएव डॉ० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन अंसचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-07-30/2024(स्वा०) /पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एव हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-07-30/2024(स्वा०) 1058(9) /पटना, दिनांक:-01.09.26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ दरभंगा, दरभंगा/सिविल सर्जन, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त
01/09/2026

सरकार के अवर सचिव।